

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक 05 मई, 2016

पत्र संख्या-1/एल1-10-11/2016 गृ0आ0 3568 /श्री शंकर झा, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई-3, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2016 से 06.05.2016 तक कुल 05 (पाँच) दिनों की उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 01.05.2016 तथा 07.05.2016 क्रमशः Prefix एवं Suffix के रूप में उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.. श्री झा के अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (2003), पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई-3, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

₹0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-11/2016 गृ0आ0 3568 /पटना, दिनांक 05 मई, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-11/2016 गृ0आ0 3568 /पटना, दिनांक 05 मई, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ₹0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-11/2016 गृ0आ0 3568 /पटना, दिनांक 05 मई, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री शंकर झा, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई-3, बिहार, पटना / श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (2003), पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।